दिनांक 10.09.2021 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के कर्मियों के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– यथा संधारित।

कार्यवाही :–

अधोहस्ताक्षरी द्वारा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों के साथ–साथ पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेश के अनुपालन की निम्नवत समीक्षा की गयी :–

1. **प्रिन्टिंग (छपाई / वितरण) संबंधी कार्य :–**

(क) **वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन –**

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के वितरण के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया इससे संबंधित Forwarding पत्र तैयार है शीघ्र ही इसका वितरण संबंधी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। पृच्छा करने पर संबंधित प्रोग्रामर द्वारा बताया गया कि पूर्व की बैठक में दिये गए निदेश के आलोक में इसकी प्रति Flipbook के रूप में वेबसाइट पर वर्ष अंकित करते हुए अपलोड कर दी गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि अगले बैठक के पूर्व वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के वितरण संबंधी कार्य सुनिश्चित कर लिया जाय।

(ख) **मार्बल व मैजिक –**

(i) मार्बल के वितरण के संबंध में पृच्छा करने पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित किया गया कि इसका वितरण मुख्यतः सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं कानूनगो को Campwise किया जाना सुनिश्चित किया जाय क्योंकि विशेष सर्वेक्षण में सुनवाई मुख्यतः इन्हें ही करनी होती है। विशेष सर्वेक्षण संबंधी कार्य हेतु प्रथम चरण में चयनित 20 जिलों के शिविरों में पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदधिकारियों की संख्या / नाम, कानूगों की संख्या / नाम, जिला मुख्यालय के लिए 5 अतिरिक्त प्रति की गणना करते हुए मार्बल के वितरण से संबंधित प्रपत्र तैयार किया जाय। नोडल पदाधिकारी संबंधित जिलों में भ्रमण पर जाते हैं तो उक्त प्रपत्र के आधार पर मैजिक की प्रति की गणना करते हुए प्रपत्र के साथ वितरण हेतु उन्हें उपलब्ध करायी जाय, जिसपर उनके द्वारा पावती प्राप्त किया जा सके।

(ii) अधोहस्ताक्षरी द्वारा मैजिक की छपाई के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इसमें कुछ Amendment भी करायी जानी थी, कराया गया या नहीं ? इस संबंध में विशेष सर्वेक्षण कोषांग के प्रभारी द्वारा बताया गया कि इसमें आवश्यक संशोधन करते हुए इसकी सॉफ्ट कॉपी छपाई हेतु संबंधित को पीत–पत्र के माध्यम से सॉफ्टकॉपी उपलब्ध करा दी गयी है। निदेश दिया गया कि इसकी छपाई का कार्य अगली बैठक के पूर्व कर दिया जाय।

(ग) **महत्वपूर्ण पत्रों के संकलन की छपाई –**

(i) महत्वपूर्ण पत्रों के संकलन की छपाई के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया निदेशालय स्तर से निर्गत महत्वपूर्ण निदेश / पत्र / आदेश / अधिसूचनाएँ आदि को संकलित कर लिया गया है। अगली बैठक के पूर्व कम्पेडियम के रूप में इसकी छपाई का कार्य कर लिया जाएगा। प्रकाशन संबंधी कार्य भविष्य में विस्तृत होने की संभावना है। इस संबंध में एल0आई0एस0 सलाहकार को प्रकाशन संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण / वितरण आदि हेतु प्रकाशन प्रभारी के रूप में किसी पदाधिकारी / कर्मी को नामित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(ii) उक्त के अतिरिक्त निदेशालय स्तर से संचालित किये जा रहे अथवा विकसित किये गए सभी प्रकार के सॉफ्टवेयरों के मैनुअल को अद्यतन करते हुए संकलित कर एक साथ छपाई कराने का निदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया।

(iii) विभागीय स्तर से ई–मैगजीन का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें लेख/मौलिक रचना आदि सम्मिलित करने हेतु यदि निदेशालय के कर्मी चाहे तो प्रत्येक माह के 15 तारीख तक श्री राजेश कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. **स्थापना संबंधी कार्य :–**

(i) (क) ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि पूर्व की बैठक में दिये गए निदेश के आलोक में ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० हेतु अगले चरण के लिए तिथि निर्धारित करने संबंधी संचिका शीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपस्थापित कर दी जाएगी।

(ख) बिहार राज्य भू–माप एवं बन्दोबस्त संघ के महामंत्री द्वारा अधोहस्ताक्षरी को बताया गया था कि निदेशालय स्तर से पूर्व में निर्गत ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० से संबंधित कार्यवाही आदि में कई विसंगतियाँ हैं, जिसमें ग्रेड पे आदि भी शामिल है। इस संबंध में स्थापना शाखा को आवश्यक कार्रवाई करते हुए शीघ्र मामले का निराकरण करने का निदेश दिया गया।

(ii) (क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों एवं अन्य संविदा कर्मियों के अवधि विस्तार के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि कुछ बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचना न भेजकर अन्य तरह के प्रपत्र में सूचना भेजी जा रही है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस संबंध में निदेश दिया गया कि अवधि विस्तार संबंधी मामले को अगली बैठक के पूर्व शीघ्र निष्पादित किया जाय। अवधि विस्तार के आदेश में संबंधित कर्मियों के नाम का भी उल्लेख हो।

(ख) उक्त के अतिरिक्त संविदा कर्मियों के अवधि विस्तार को योजना अवधि तक के लिए अवधि विस्तार करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया।

(ग) जिलों में पदस्थापित पुराने संविदा कर्मी को ई०पी०एफ योजना से आच्छादन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर संचिका में उपस्थापन करने का निदेश दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि अभियान चलाकर अगली बैठक के पूर्व अवधि विस्तार एवं ई०पी०एफ० संबंधी मामले का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(iii) संचिकाओं के प्रभार के आदान प्रदान के संबंध में प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इससे संबंधित प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है एवं सोमवार दिनांक 13.09.2021 को उपस्थापित कर दिया जाएगा।

(iv) (क) पूर्व की बैठक में दिये गए निदेश के आलोक में संचिकाओं के स्कैनिंग के संबंध में पृच्छा करने पर सहायको द्वारा निम्न जानकारी दी गयी :–

क्र० सं०	सहायक / कर्मी का नाम	कुल स्कैनिंग किये जाने वाले संचिकाओं की संख्या	स्कैनिंग हेतु शेष संचिकाओं की संख्या
01	श्री विजय सम्राज्य	80	17
02	श्री बब्लु कुमार	जानकारी नही उपलब्ध करायी जा सकी	
03	श्री अमित कश्यप, उ०व०लि०	60 + 59 = 119	59
04	श्री मुन्ना कुमार चौधरी, उ०व०लि०	136	जानकारी नही उपलब्ध करायी जा सकी
05	श्री राकेश कुमार	150	
06	श्री शशि रंजन प्रसाद	बताया गया कि कुल संचिकाओं के प्रभार के संबंध में याद नहीं है।	
07	श्री सुमन जी कपूर, नि०व०लि०	जानकारी नही उपलब्ध करायी जा सकी	

संचिकाओं के स्कैनिंग की स्थिति अतयन्त ही असंतोषजनक है। किसी भी सहायक को अपने प्रभार एवं स्कैन किये गए संचिकाओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसे में संचिकाओं के सही सलामत नहीं होने की भी आशंका है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया।

(ख) e-Office के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया कि दिनांक 16.09.2021 के पश्चात् अत्यावश्यक महत्वपूर्ण/पेंमेंट/कोर्ट केस/टेन्डर आदि से संबंधित संचिकाओं को छोड़कर अन्य कोई भी संचिका भौतिक रूप में उपस्थापित नहीं की जाएगी। सभी संचिकाओं का उपस्थापन e-Office के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। यदि संचिका संसमय उपस्थापित नहीं की जाती है तो संबंधित कार्यवाह सहायक इसके पूर्ण जिम्मेदार होंगे। अतः निदेश दिया जाता है कि अपने प्रभार की सभी संचिकाओं का शीघ्र e-Office में माईग्रेट करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित सहायकों/कर्मी का माह–सितम्बर, 2021 का वेतन उनके प्रभार के संचिकाओं के स्कैनिंग/माईग्रेट होने तक अवरूद्ध रहेगा। प्रारंभ में केवल दो माह के लिए पेंमेंट/कोर्ट केस/कोटेशन आदि से संबंधित संचिकाओं का उपस्थापन e-Office के माध्यम से न कर भौतिक रूप से करने का निदेश दिया गया। इस संबंध में अधोहस्ताक्षंरी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि वर्तमान में पेमेंट/टेन्डर/कोर्ट केस आदि संचिकाओं को अन्य विभाग कैसे उपस्थापन करते हैं, इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ले ताकि शीघ्र सभी प्रकार की संचिकाओं का उपस्थापन e-Office के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सके।

(V) (क) विशेष सर्वेक्षण कर्मियों से संबंधित आवेदन, काउंसलिग, ज्वाईनिंग के फोल्डरों के साथ Verification Certificate को भी Attach करने संबंधी निदेश के संबंध में पृच्छा करने पर आई0टी0 कोषांग के प्रोग्रामर द्वारा बताया गया कि R2R सॉफ्टवेयर में Attach किये जाने हेतु फोल्डरों के सत्यापन के पश्चात् उन्हें अभी तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है जिस कारण यह कार्य लम्बित है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यवाह सहायक विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के तीनों फोल्डरों को सत्यापित करते हुए अगली बैठक के पूर्व प्रोग्रामर को उपलब्ध करायें एवं अपनी देख रेख में संबंधित कर्मी के साथ Attach कराएँ।

(ख) सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन/काउंसलिग के समय नवचयनित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा संलग्न किया गया है उन सभी दस्तावेजों का Verification कराना सुनिश्चित किया जाय। इस कार्य में काफी विलम्ब हो चुका है। एक माह के अन्दर Verification संबंधी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निश्चित रूप से पूर्ण किया जाय। कई विश्वविद्यालय/संस्थानों द्वारा Verification हेतु राशि की मांग की जा रही है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी अन्य विभागों से प्राप्त करते हुए संचिका में उपस्थापित कर इस मामले का शीघ्र निपटारा करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया।

(ग) त्यागपत्र स्वीकृत किये गए विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को R2R सॉफ्टवेयर में Disable करने के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि यह कार्य पूर्ण हो चुका है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि भविष्य में त्यागपत्र स्वीकृत के संबंध में यदि कोई पत्र निदेशालय स्तर से निर्गत होता है तो संबंधित सहायक की जिम्मेदारी होगी कि वे एक सप्ताह के अन्दर R2R सॉफ्टवेयर में भी उक्त कर्मी को Disable करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य में यदि डाटा में कोई Discrepancy परिलक्षित होती है तो अविलम्ब अवगत कराते हुए आवश्यक सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

(vi) (क) बन्दोबस्त कार्यालयों के स्थापना/लेखा/न्यायालय आदि अन्य मामलों की समीक्षा हेतु ऑनलाईन प्रपत्र के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित प्रोग्रामर द्वारा बताया गया कि इसे तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि सभी 38 जिलों के बन्दोबस्त कार्यालयों एवं बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से प्रतिवेदन ऑनलाईन उपलब्ध कराने हेतु पत्र एवं यूजर मैनुअल/लॉगिन आई0डी0/पासवर्ड आदि संबंधित कार्यालय को भेजने का निदेश दिया गया ताकि आवश्यक सूचना ऑनलाईन प्राप्त हो सके। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16.09.2021 को वैसे सभी जिलों के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के साथ बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(ख) अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थापना शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे जिलों में पदस्थापित सभी कर्मियों के डाटा को R2R सॉफ्टवेयर में अद्यतन रखे।

(vii) कबाड़ हटाने के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि कबाड़ हटाने संबंधी कार्रवाई अभी भी लम्बित है। इस संबंध में अलग से पीत–पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। निदेश दिया गया कि कबाड़ का विडियोग्राफी आदि कराते हुए स्क्रैप घोषित कर उक्त से संबंधित सूचना प्रकाशित कराने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई कर मामले को निष्पादित किया जाय।

(viii) प्रशिक्षण से सम्बन्धित सभी विपत्रों का GoI राशि से समायोजन से संबंधित प्रस्ताव के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इसे तैयार कर लिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कुल राशि के बारे में पृच्छा करने पर लेखापाल, बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट द्वारा संतोषजनक जबाव नहीं दिया जा सका। प्रशिक्षण की राशि के समायोजन से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ix) लाईब्रेरी में संधारण करने हेतु क्रय किये जाने वाले पुस्तको की सूची के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया विशेष सर्वेक्षण कोषांग, जी0आई0एस0, स्थापना शाखा आदि से संबंधित सूची उपलब्ध कराया जा चुका है। इस संबंध में संबंधित सहायक को निदेश दिया गया कि निदेशालय के नाम से आमेजन पर एक एकाउंट खोला जाय ताकि पुस्तकों के क्रय में आसानी हो।

(x) प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा लॉग बुक की जाँच के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि लॉग बुक की जाँच कर ली गयी है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

(xi) हेल्पालाईन के संबंध में एक संचालन प्रक्रिया बनानी थी जिसके संबधं में पृच्छा करने पर बताया गया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबंदी द्वारा किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि अगले बैठक के पूर्व अधाहस्ताक्षरी को उक्त से अवगत कराया जाय।

3. **<u>बजट से संबंधित</u>** :– बजट के भुगतान के संबंध में बजट के हेड के प्रावधान का उपयोग नहीं किया जाता है। इस संबंध में प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बजट सभी प्रकार के बजट हेड के बारे में गाईडलाईन आदि मंगाकर जानकारी प्राप्त करें एवं अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें ताकि उसका उपयोग बेहतर ढ़ंग से बजट आवंटन में किया जा सके।

4. **<u>विभागीय कार्यवाही</u>** – विभागीय कार्यवाही/आरोप/सेवान्त लाभ आदि के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों के निष्पादन में प्रगति लायी जाय। विभिन्न जिलों से शिकायती पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिसके संबंध में निदेश दिया गया कि इसमें विलम्ब नहीं किया जाय एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। विभागीय कार्यवाही/आरोप/सेवान्त लाभ आदि के संबंध में निम्न जानकारी संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध करायी गयी :–

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	पूर्व में निष्पादित मामला	इस सप्ताह निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
विभागीय कार्यवाही	00	17	17	00	06	11
आरोप	00	32	32	00	00	32
सेवान्त लाभ	00	10	32	00	00	32

संबंधित द्वारा अधोहस्ताक्षरी को बताया गया कि विभागीय कार्यवाही से संबंधित लम्बित मामला निम्न है–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	आरोप	अभ्युक्ति
1	श्री वासुकीनाथ प्रसाद, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	तीन सेवानिवृत्त कर्मियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का प्रस्ताव नहीं भेजने के संबंध में।	अधिगम प्राप्त
2	श्री देव नरायण लाल दास, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	फर्जी अभिलेख का नकल निर्गत करने का आरोप।	अधिगम प्राप्त

क्र0 सं0	नाम / पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	आरोप	अभ्युक्ति
3	श्री मंजर आलम, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	अनुशासनहीनता, कार्यालय का कार्य अवरूद्ध करने एवं अभिलेखागार में ताला बन्द करने का आरोप	**अधिगम प्राप्त**
4	श्री सुनील कुमार सिंह, कार्यकारी प्रधान लिपिक	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	अनियमितता एवं उजरत भोगी अमीनों को चुपचाप अनुभव प्रमाण– पत्र निर्गत करने के संबंध में।	**अधिगम प्राप्त**
5	श्री सुधीर कुमार दास, स0ब0प0			**अधिगम प्राप्त**
6	श्री चितरंजन कुमार दास, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	अभिलेख में हेरा–फेरी करने के संबंध में।	**अधिगम प्राप्त**
7	श्री अविनाश किशोर, नि0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर / खगड़िया	आदेशोल्लंघन के संबंध में।	**अधिगम अप्राप्त**
8	श्री राकेश कुमार सिन्हा, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	आदेश के अवहेलना आदि के संबंध में।	**अधिगम प्राप्त**
9	श्री निरज कुमार सिंह, उ0व0लि0	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा / प0चम्पारण (बेतिया)	अनाधिकृत अनुपस्थित रहने, कार्य के प्रति अभिरुचि नहीं रखने तथा कर्मचारी / पदाधिकारी के साथ उदण्ड आचरण के संबंध में।	**अधिगम अप्राप्त**
10	श्री उमाकान्त , नि0व0लि0	प्रचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	सरकारी कर्त्तव्यों से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में।	**अधिगम अप्राप्त**
11	श्री विद्यासागर पासवान, कार्यालय परिचारी	बन्दोबस्त कार्यालय, बांका	अनाधिकृत अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीन आचरण एवं अभद्र व्यवहार व कार्यालय का माहौल खराब करने आदि के संबंध में	**निलम्बित**

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि जिस कार्यालय से अधिगम लम्बित है वहाँ स्मार देकर आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि शीघ्र प्राप्त हो सके एवं पाँच अधिगम प्राप्त वाले मामले का निपटारा अगली बैठक के पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5. **<u>सूचना के अधिकार से संबंधित</u>** – अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचना के अधिकार से संबंधित लम्बित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निदेश दिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः निदेश दिया गया कि यदि सूचना का अधिकार निदेशालय से संबंधित नहीं हो तो संबंधित कार्यालय को शीघ्र Transfer करना सुनिश्चित किया जाय।

6. **<u>न्यायालय संबंधी कार्य</u> :**– सी0डब्लू0जे0सी0, एम0जे0सी0, एल0पी0ए0 आदि मामलों को प्राथमिकता देते हुए निष्पादित करने का निदेश दिया गया। उक्त से संबंधित निम्न लम्बित मामला के संबंध में जानकारी संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध करायी गयी :–

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	इस सप्ताह निष्पादित	पूर्व में निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
सी0डब्लू0जे0सी0	00	20	20	06	00	14
एम0जे0सी0	00	00	00	00	00	00
एल0पी0ए0	00	00	00	00	00	00
अन्य मामला	00	00	00	00	00	00

सी0डब्लू0जे0सी0 से संबंधित लम्बित मामलों की सूची निम्नवत उपलब्ध करायी गयीः–

वाद का प्रकार		वाद की संख्या / वर्ष	वादी का नाम	विभाग	करणत्व (संबंधित कार्यालय)	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1	CWJC	CWJC No. --------/2017	श्री पंकज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय	अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर अंचलाधिकारी, समस्तीपुर सदर	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के संबंध में
2	CWJC	CWJC No. --------/2017	श्री लक्ष्मण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	पैतृक सम्पति मौजा बंसतपुर थाना न0 11 / समनपुरा थाना न0 12 भूमि विवाद के संबंध में।
3	C.M	W.P No. 35881 /2017	मोहन लाल शर्मा एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य		समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान	उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद के संबंध में
4	CWJC	CWJC No ---------/2019	उज्जवल कुमार सुमन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, गया	Mutation of Land
5	CWJC	CWJC No 9410/2018	विजय दूबे बनाम बिहार राज्य एवं अन्य		समाहर्त्ता –सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज	Khata No 74, Plot No - 313, Land - 17 Decimal, RoR
6	CWJC	CWJC No ………./ 2020	श्री राजीव कुमार सिह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।	भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय	समाहर्त्ता–सह–बन्दोवस्त पदाधिकारी, दरभंगा / समस्तीपुर	सीमाकंन कार्य के संबंध में।
7	CWJC	CWJC No ………./ 2021	श्री रामचन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		समाहर्त्ता–सह–बन्दोवस्त पदाधिकारी, गया	गया जिले के मानपुर अंचल के मौजा नारो घाट में रिविजनल सर्वे में सुधार करने अर्थात् अनावाद बिहार सरकार तथा अनाबाद सर्वेसाधारण के खाते को अपने नाम से खाता खुलवाने से संबंधित है।
8	CWJC	CWJC No 11869/ 2021	श्री राम कुमार सिह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।			पुनरीक्षत वेतनमान के संबंध में।
9	CWJC	CWJC No ……./2021	शारदा देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		जिलाधिकारी, भोजपुर (आरा)	जामबंदी पंजी–02 के संबंध में।
10	CWJC	CWJC No ………./ 2020	पुनम देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		समाहर्त्ता–सह–बन्दोवस्त पदाधिकारी, वैशाली, अंचलाधिकारी, राघोपुर, वैशाली	ग्राम राघोपुर एवं फतेहपुर का सीमाकंन कार्य से संबंधित।
11	CWJC	CWJC No 4981/ 2020	विशाल कुमार मौर्या बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
12	CWJC	CWJC No 10749/ 2020	श्री ऋषिकेश कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	विशेष सर्वेक्षण अमीन संविदा नियोजन के संबंध में।
13	CWJC	CWJC No 4160/ 2021	श्री वीरेन्द्र कुमार बिमल बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	संविदा नियोजन अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
14	CWJC	CWJC No 7312/ 2021	श्री विनीत कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
15	CWJC	CWJC No 5390/ 2021	श्री अनुपम कुमार बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	संविदा नियोजन अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
16	CWJC	CWJC No 7260/ 2021	श्री राजेश बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	संविदा नियोजन अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

वाद का प्रकार	वाद की संख्या / वर्ष	वादी का नाम	विभाग	करणत्व (संबंधित कार्यालय)	विषय	वाद का प्रकार
17	CWJC	CWJC No 7790/ 2021	श्री श्याम नारायण ठाकुर बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य।	भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय	निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाप	संविदा नियोजन अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
18	CWJC	CWJC No 7652/2020	श्री अभिषेक कुमार बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाप	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
19	CWJC	CWJC No ..../2021	श्री शुभम कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाप	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।
20	CWJC	CWJC No 737/ 2021	श्री आशीष प्रकाश अन्य बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य।		निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाप	विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों के निष्पादन की गति काफी धीमी है। उक्त न्यायालय से संबंधित लम्बित मामलों का शीघ्र निष्पादन का निदेश दिया गया।

7. <u>नव नियोजित संविदा कर्मियों से संबंधित आरोप</u> :- बन्दोबस्त कार्यालयों से प्राप्त आरोप विवरणी से संबंधित मामलों की अद्दतन स्थित निम्न है :-

क्र0 सं0	आरोपित कर्मचारियों का नाम / पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	आरोप का संक्षिप्त विवरण	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
1	2	3	5	7	8
1	श्री वैभव गंगोत्री, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN02992	बन्दोवस्त कार्यालय, कटिहार	शिविर कुर्सेला के राजस्व ग्राम-बटेशपुर, थाना नं0 -309 के विरुद्ध आरोप-पत्र के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक -2447 दिनांक 17.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
2	श्री मंजेय कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03182	बन्दोवस्त कार्यालय, जहानाबाद	कार्य असंतोष जनक के विरुद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक -2508 दिनांक 24.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
3	श्री अमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN04287				
4	श्री कविकान्त कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03069				
5	श्री रितेश तिवारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03619	बन्दोवस्त कार्यालय, अरवल	गलत आवासन पता देने के विरुद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक -2518 दिनांक 24.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
6	श्री अरपित आनन्द, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN04216				
7	श्री सतनाम कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN00417				
8	श्री सौरभ कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03817	बन्दोवस्त कार्यालय, मधेपुरा	कार्य मे शिथिलता के विरुद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक -2516 दिनांक 24.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
9	श्री अभिजीत कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN04577				
10	श्री अमन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03818				

क्रं0 सं0	आरोपित कर्मचारियों का नाम / पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	आरोप का संक्षिप्त विवरण	अद्यतन स्थिति	अभ्युक्ति
11	श्री प्रभु कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN02389	बन्दोवस्त कार्यालय, मधेपुरा	कार्य मे शिथिलता के विरुद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक –2516 दिनांक 24.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
12	श्री सुवंश कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN02578	बन्दोवस्त कार्यालय, मधेपुरा	कार्य मे शिथिलता के विरुद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक –2516 दिनांक 24.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
13	श्री प्रिय रंजन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN02141	बन्दोवस्त कार्यालय, मधेपुरा	कार्य मे शिथिलता के विरुद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक –2516 दिनांक 24.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
14	सुश्री पूजा भारती, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN00399	बन्दोवस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	अनुचित व्यवहार के विरुद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक –2519 दिनांक 24.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
15	श्री अभिषेक कुमार पासवान, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03887	बन्दोवस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	खराब प्रदर्शन के कारण वेतन स्थगित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक –2520 दिनांक 24.08.2021 द्वारा वेतन स्थगित हेतु भेजा गया है।	
16	श्री विनोद कुमार राम, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03246	बन्दोवस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	खराब प्रदर्शन के कारण वेतन स्थगित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक –2520 दिनांक 24.08.2021 द्वारा वेतन स्थगित हेतु भेजा गया है।	
17	श्री सुजीत कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN02811	बन्दोवस्त कार्यालय, बाँका	शून्य प्रदर्शन के कारण वेतन स्थगित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक –2517 दिनांक 24.08.2021 द्वारा वेतन स्थगित हेतु भेजा गया है।	
18	श्री पंकज कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03027	बन्दोवस्त कार्यालय, बाँका	शून्य प्रदर्शन के कारण वेतन स्थगित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक –2517 दिनांक 24.08.2021 द्वारा वेतन स्थगित हेतु भेजा गया है।	
19	बेबी दास, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03124	बन्दोवस्त कार्यालय, बाँका	शून्य प्रदर्शन के कारण वेतन स्थगित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक –2517 दिनांक 24.08.2021 द्वारा वेतन स्थगित हेतु भेजा गया है।	
20	मोद्दशीर आलम, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN03095	बन्दोवस्त कार्यालय, बाँका	शून्य प्रदर्शन के कारण वेतन स्थगित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक –2517 दिनांक 24.08.2021 द्वारा वेतन स्थगित हेतु भेजा गया है।	
21	श्री प्रणव कुमार, विशेष सर्वेक्षण लिपिक ID No.-SCL01771	बन्दोवस्त कार्यालय, बाँका	शिविर कार्यालय अनाधिकृत रुप से अनुपस्थिति रहने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक –2551 दिनांक 26.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
22	सुश्री अनुपम भारती, विशेष सर्वेक्षण लिपिक ID No.-SCL01675	बन्दोवस्त कार्यालय, जहानाबाद	श्री विकास कुमार सिंह, विशेष सर्वेक्षण अमीन आई0डी0 नं0–AEN00590, बन्दो0 कार्या0, किशनगंज के विरुद्ध मानसिक उत्पीड़न हेतु स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।	निदेशालय पत्रांक –2521 दिनांक 24.08.2021 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु भेजा गया है।	
23	श्री अनिल कुमार गुप्ता, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN02676	बन्दोवस्त कार्यालय, लखीसराय	कर्त्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेशोलघंन के संबंध में।	निदेशालय आदेश सं0 –2589 दिनांक 27.08.2021 द्वारा संविदा अनुबंध रद्द किया गया है।	अनुबंध रद्द
24	श्री संजीव कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN02765	बन्दोवस्त कार्यालय, लखीसराय	कर्त्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेशोलघंन के संबंध में।	निदेशालय आदेश सं0 –2588 दिनांक 27.08.2021 द्वारा संविदा अनुबंध रद्द किया गया है।	अनुबंध रद्द
25	श्री आनन्द कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन ID No.-AEN04204	बन्दोवस्त कार्यालय, लखीसराय	कर्त्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेशोलघंन के संबंध में।	निदेशालय आदेश सं0 –2587 दिनांक 27.08.2021 द्वारा संविदा अनुबंध रद्द किया गया है।	अनुबंध रद्द

उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों के निष्पादन में तीव्रता लाते हुए शीघ्र मामले का निपटारा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8. **लेखा संबंधी कार्य :–**

(क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा मासिक विपत्र यथा – विद्युत, दूरभाष आदि के भुगतान के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि विद्युत को छोड़कर संबंधित सारे विपत्रों का भुगतान ससमय किया जा रहा है। संबंधित द्वारा जानकारी दी गयी कि द्वितीय सिलिंग नहीं प्राप्त होने के कारण विद्युत का भुगतान लम्बित है। इस संबंध में वित्त विभाग को अवगत कराने संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(ख) अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर के Admin Block एवं छात्रावास हेतु विद्युत मीटर अलग करने के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित सहायक द्वारा बताया गया कि इस संबंध में पत्र प्रेषित की जा चुकी है।

(ग) अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी लम्बित विपत्रों का भुगतान शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

(घ) पूर्व में किये गए ऑडिट के संबंध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा निदेशालय को पत्र प्राप्त हुआ है। उन पत्रों में उठायी गयी आपत्तियाँ का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 हेतु ऑडिट कराने संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

9. **आगत शाखा से संबंधित :–**

पृच्छा करने पर आगत शाखा द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 में निदेशक को सम्बोधित दिनांक 10.09.2021 (बैठक के पूर्व) तक कुल प्राप्त पत्रों की संख्या – 4355 है।

10. **निर्गत शाखा से संबंधित :–**

निर्गत शाखा के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित कर्मी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 में दिनांक 10.09.2021 (बैठक के पूर्व) तक (बैठक के पूर्व) कुल पत्र निर्गत पत्रों की संख्या – 2740 एवं पीत–पत्रों की संख्या – 134 है। उक्त सभी पत्रों को निबंधित डाक/सामान्य डाक/ई–मेल के माध्यम से संबंधित को उपलब्ध करा दिया गया है।

11. **बेल्ट्रॉन से संबंधित :–**

(क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि कुछ बड़े अंचलों में एक से अधिक ऑपरेटरों की सेवा की मांग की गयी है उसके संबंध में एवं रिक्त अंचलों के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। बेल्ट्रॉन के प्रभारी, मानव संसाधन एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित कर्मी द्वारा बताया गया कि इस हेतु एजेण्डा तैयार कर लिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक आयोजित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(ख) निदेश दिया गया कि अंचल के कम्प्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय को नियमित करने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें।

12. **बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट :–**

(क) बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के कर्मियों के remuneration बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि संचिका सहायक निदेशक के समक्ष उपस्थापित कर दी गयी है।

(ख) माह–फरवरी, 2021 में बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लेखापाल द्वारा टैली सॉफ्टवेयर के installation से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करया गया था। दिनांक 10 सितम्बर, 2021 को बैठक में पृच्छा करने पर ज्ञात हुआ कि अभी तक मात्र वर्ष 2012–13 से दिनांक 22.09.2015 तक का Cash Book की प्रविष्टि टैली सॉफ्टवेयर में की गयी है। इससे स्पष्ट है कि संबंधित लेखापाल द्वारा इस कार्य में रूचि नही ली जा रही है। इस संबंध में अलग से पीत–पत्र उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

13. अन्यान्य :–

कैथी मामले के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि सारण बन्दोबस्त से इस संबंध में वार्ता कर निदेशालय को प्राप्त पत्र के आलोक में आवश्यक आवंटन उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव शीघ्र उपस्थापित किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेश जिसका अनुपालन नहीं हो सका है को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश एवं सभी कर्मियों को सम्बन्धित प्रतिवेदन के साथ ही बैठक में शामिल होने के निदेश के साथ अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 100 /गो0 पटना, दिनांक 14-09-2021

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित कर्मी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :– 100 /गो0 पटना, दिनांक 14-09-2021

प्रतिलिपि :– प्रभारी, आई0टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक